

तारीख  
हुसम

न्यायालय उपखंड अदालत या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  
पदेन सहायक कलक्टर  
कोड (पी.ल.वा.स) शंकरलाल व नाम सुवा खतीब

20/18 शिवनाथ

वारी ६/६ दिनांक 23.7.16 थी पेस हो

उपखंड न्यायालय पदेन  
सहायक कलक्टर करेका

13.6.18

शंकरलाल

पजावली राजस्थान लोक अदालत तारीख २३/७/१६  
दौरान मुकाम २१/७/१६ पर पेस हुई  
वादी उपस्थित जिसे विचार प्रवर्तित हुआ  
गया। वादी द्वारा निवेदन किया गया कि  
उम गोपाल पुरा लहे करेडा स्थल  
आराजीने. ७१५/१ कुल रकम ६.१६  
की घाटे जा वादी गण की खाले दारी अधिका  
मुकामे जिसे पर जिना किसी कावनी  
अधिकार के प्रतिवादी से रकम ०।१० सुवा  
खतीब द्वारा भगमज ०.१० की घाटे पर  
वाजाभाज लौर पर कब्जा कर रखा है।  
जिसकी पुबिट फथरवाही आदेश अख्त  
से रकम ५९/२०१६ की पालना में तयार  
पर्या भौमा दिनांक २५.०५.२०१७ द्वारा  
शेके जे गिरदावर से होली है  
मेने पजावली का अवलोकन कि  
उपलब्ध रेकार्ड पर मनन कि गोपापुस्त  
आराजीने. ७१५/१ रकम ६.१६ की का  
अमि मुताबिक राजस्थान रेकार्ड वारी  
गणों की खाले दारी अधिकार मुकाम  
अमि है। जिसे पर प्रतिवादी से रकम  
०।१० सुवा खतीब का ०.१० की घाटे

अभि पर अनाधिकृत कठजा है जिसकी  
दृष्टि पर्याप्त दिनांक 24.04.17  
के जो गिर दायर दलमा द्वारा लक्ष्मी  
दिनांक है उसने प्रमाणित होती है  
जिसका प्रतिवादी संख्या 01 का  
कई काम ही अधिकार नहीं होकर  
अवैधानिक है।

अतः वारीशकम वरि पत्र  
एक वारीशक विरुद्ध प्रतिवादी से.  
01 स्वीकार किए जाने के साथ-2  
अराजीने. 714/1 के सुवा पिता  
शोभु मदीक वि० वेमाली का अवैध  
अनाधिकृत कठजा की दृष्टि होती  
है।

: आदेश :

श्रीजा गोपालपुरा लक्ष्मी करेडा  
स्थित अराजीने. 714/1 के संख्या  
6.16 की धा जो वारीशको के खाले  
दारी एक के दर्ज रेकर्ड है। उसमें प्रति  
वारीशक संख्या 01 का 0.10 की धा पर  
अनाधिकृत कठजा दायर होने के  
साथ-साथ पुनः वारीशकों को सम्भालिये  
जाने के आदेश उदान किए जाते हैं।  
पलनार्थ लक्ष्मी दार करेडा को लिखा जावे  
वदनुसार डिप्टी सुपुटिव्हो।

पुजावली के 2 निस्तर के नाम की  
नम्बर जो संख्या 2012/1।

विधि आज दिनांक 13.6.18 को अर  
इजलास सुनाया गया।

उपखंड अधिकारी पदेन  
सहायक कलक्टर करेडा

मूलवाद में डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर ..... करेडा

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी :- उपरकड अधिकारी करेडा

शंकरलाल कुमावत नि.गो.प.प. उजवान नाम सुबान 90 मंगरवरी  
दावा बाबत 1/5 183 RTA के बाबत कब्जा प्राप्ति की प्रमाणित

मुकदमा नम्बर :- 20/18 रा.वार्ड

निर्णय दिनांक :- 13/6/18

वादी की ओर से ..... की व प्रतिवादी की ओर से .....

की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 13/6/18 को रजनीमा (नाम पीठासीन अधिकारी)

उपखण्ड अधिकारी ..... के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-

~~वादीगण को वाद पत्र बलक वाली गण विरुद्ध प्रतिवादी~~  
~~संघ से स्वीकार किए जाने से मोजा गणानपुर/रा.वार्ड~~  
~~स्थित आ.नं. 07/1/1 कुल रकम 6.16 बीघा जमीन वादीगणों~~  
~~के खाते दारी हुक से दूर रेराई में प्रतिवादी संघ का 0.10~~  
~~बीघा पट्ट भूना कब्जा हटाने के साथ साथ~~  
~~इस वादीगणों को से मालिकपत्राने के आदेश प्रदान किए जाते~~  
~~खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।~~  
यह आज तारीख 13/6/18 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(  
उपखण्ड पीठासीन अधिकारी  
सहायक कलक्टर एवं  
पदेन सहायक कलक्टर करेडा

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			
जोड़		जोड़	

अनुदान पत्र सं 20/15

1. श्री शंकराम का रामम कुमावत निगम

2. श्री हीराम का रामम कुमावत निगम  
तक करें

बनाम

1- श्री सुवा का रामम खरीकानिगम

2- राजस्थान राज्य जारमे लहरीपदा पर  
तक करें